न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. जालाराम पुत्र नानूराम जाति जाट, (विक्रेता एवं मालिक)
   निवासी–गांव मोडीयावट तह. डीडवाना जिला नागौर।
   फर्म–मैसर्स चौधरी ज्यूस सेंटर, बस स्टेण्ड डीडवाना जिला नागौर।

प्रकरण संख्याः–21/2021

'' अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 27 की उप धारा 3(क) एवं धारा 31(2) व धारा 52 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम''

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर।

–:निर्णय :–

दिनांकः–12.03.2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.09.2020 को समय 10:35 ए.एम. पर फर्म मैसर्स चौधरी ज्यूस सेंटर, बस स्टेण्ड डीडवाना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता मालिक के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति जालाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी–मोडियावट तह. डीडवाना जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते तैयार ज्यूस, कोल्ड ड्रिंक्स आदि विक्रय हेतु रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन नहीं होना बताया। पूछने पर वार्षिक टर्न अवर लगभग 2 से 3 लाख रूपये होना बताया है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक व गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर Ready to Serve Fruit Beverages (Fruit Pulpy Brand) की 12 बोतल एक लकड़ी की रैक में मूल ही सील्ड अवस्था मे आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थें। जिन पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

मूल ही सील्ड अवस्था मे आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थें। जिन पर फार्म नं.–5ए पर दर्शायेनुसार जानकारी अंकित थी, मुझे इनमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्र्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना विक्रेता को फार्म नं.5 ए में दी एवं रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा साथ ही उक्त बोतलें अवधि पार भी थी, फार्म 5ए की मूल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है प्रपत्र 5ए देने से पूर्व विक्रेता को गवाहन की उपस्थिति में बता दिया था कि उक्त नमूना वास्ते एफएससए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा हूं। मौके पर विक्रेता ने उक्त पेय पदार्थ को अन्य फर्म से खरीदने का बिल नहीं होना जाहिर किया।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर गवाहों एवं विक्रेता की उपस्थिति में उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverages (Fruit Pulpy Brand) के 4 बोतल मूल ही सील्ड अवस्था में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को उनके बताये अनुसार 200/–रू (अक्षरे दो सौ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा चारों Ready to Serve Fruit Beverages (Fruit Pulpy Brand) की 1–1 लीटर वाले बोतलों के लिए विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर लेबल पर श्रीमान डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverage(Fruit Pulpy Brand) की 1–1 लीटर वाले बोतलों के लिए, विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1332 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता जालाराम एवं गवाहान को पढ़ सुनकर,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। नमूना लेने के पश्चात Ready to Serve Fruit Beverages (Fruit pulpy Brand) की शेष बची 8 बोतलों को अभिग्रहित कर प्रारूप नं.2 में अभिग्रहण ज्ञापन व प्रारूप–3 में एक अभिग्रहण आदेश तैयार कर अभिग्रहित Ready to Serve Fruit Beverages(Fruit pulpy Brand) को फर्म के मालिक जालाराम की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा, तथा प्रारूप–2 व 3 के मूल प्रतियों पर जालाराम के हस्ताक्षर करवायें, गवाहन व मैंने स्वंय ने किये प्रारूप–2 व 3 की प्रतियां न्याय निर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने तथा अभिग्रहण की समस्त कार्यवाही का मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर, विक्रेता मालिक एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर, सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना Q-1332 सीलबन्द किया था उसका निशान मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट पर अंकित किया उपरोक्त सभी कार्यवाही मैंने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द गहलोत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 04.09.2020 को जमा कराने हेतु भिजवाया गया था, परन्तु खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर ने फार्म नं. 6 के पुस्त भाग यह सूचित करते हुए वापिस लौटाया गया कि इस प्रयोगशाला में माईक्रोबाईलोजिकल जांच उपलब्ध नहीं है, मूल प्रपत्र मय खाद्य नमूना वापिस भिजवा दिया गया। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त फार्म नं. न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के पत्र के माध्यम से एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति एक आउट कवर में सीलबंद सील मोहर कर श्री माणकचन्द गहलोत वार्ड बॉय, कार्यालय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर को दिनांक 07.09.2020 को देकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सीलबंद मोहर कर श्री माणकचन्द गहलोत वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर को दिनांक 07.09.2022 को जमा कराकर फार्म न0 6 की पुस्त भाग पर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है तथा दो सीलबन्द (द्वितीय व तृतीय भाग) नमूना पैकेट मय फार्म नं. 6 की दो प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को दिनांक 04.09.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है। शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति को आउटर कवर में सीलबंद सीलमोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को 04.09.2020 जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नमूना लेने के पश्चात शेष बची खाद्य सामग्री को अभिग्रहित करने की सूचना अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) नागौर को दी। सूचना पत्र जो कि न्याय निर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को श्रीमान डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 408–09 दिनांक 22.10.2020 के द्वारा सलंग्न जांच रिपोर्ट संख्या LS/1229/Act/2020/1303 दिनांक 16.09.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता जालाराम से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverages (Fruit pulpy Brand) का नमूना Q–1332 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 31(1)(Zf)©(i) के तहत मिसब्राण्डेड तथा " This Sample is not fully marketable as it sold after date of best before" होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अभिग्रहित सामग्री बाबत् अधिनियम की धारा 47 की धारा 4 के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को आवेदन प्रस्तुत किया। जो कि न्याय निर्णयन आवेदन सलंग्न है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(5)अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने मुख्य राज्य केन्द्रीय खाद्य विश्लेषक की जॉच रिपोर्ट की एक प्रति फर्म –मैसर्स चौधरी ज्यूस सेंटर बस, स्टेण्ड डीडवाना को जिला नागौर को अधिनियम की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक के विश्लेषण के निष्कर्षो के विरूद्ध अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक 408–09 दिनांक 22.10.2020 को प्रेषित किया जो अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की रसीद व जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता जालाराम ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड एवं अवधि पार (This Sample is not fully marketable as it sold after date of best before") Ready to Serve Fruit Beverages (Fully Pulpy Brand) को विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 27(3)(क) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 में निर्धारित है तथा साथ ही रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना विक्रय कर धारा 31(2) का उल्लंधन किया है जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड व अवधि पार खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 27(3)(क) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है तथा साथ ही रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना विक्रय कर धारा 31(2) का उल्लंधन किया है जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(6)प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 24.02.2022 को प्रतिवादी जालाराम ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया प्रतिवादी जालाराम की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

दिनांक 03.09.2020 को जिस खाद्य पदार्थ Fruit Pulpy Brand का सेम्पल लिया था। जिसको अमानक पाये जाने से मुझे जरिये नोटिस सूचना दी गई । उक्त Fruit Pulpy Brand में किसी प्रकार की कोई अमानक पाई जाती है तो इसके लिए मै क्षमा प्रार्थी हूँ। निवेदन करता हू कि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नही हो।

(7)प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी द्वारा मिसब्राण्ड व अवधि पार खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 27(3)(क) का उल्लंघन पाया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है साथ ही रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना विक्रय कर धारा 31(2) का उल्लंधन किया है जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(8)प्रकरण में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.09.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 10:35 ए.एम. पर फर्मः–मैसर्स चौधरी ज्यूस सेंटर बस स्टेण्ड डीडवाना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति जालाराम पुत्र नानूराम, निवासी–गांव मोडीयावट तह. डीडवाना जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते तैयार ज्यूस, कोल्ड ड्रिक्स आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन नहीं होना बताया। पूछने पर वार्षिक टर्न ऑवर लगभग 2 से 3 लाख रूपये होना बताया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक व गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर Ready to Serve Fruit Beverages (Fruit Pulpy Brand) की 12 बोतल एक लकड़ी की रैक में मूल ही सील्ड अवस्था मे आम जन को विक्रय हेतु रखे हुए थें। जिन पर फार्म नं. –5ए पर दर्शायेनुसार जानकारी अंकित थी, मुझे इनमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्र्ड व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना विक्रेता को फार्म नं.5 ए में दी एवं रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा साथ ही उक्त बोतलें अवधि पार भी थी, फार्म 5ए की मूल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है प्रपत्र 5ए देने से पूर्व विक्रेता को गवाहन की उपस्थिति में बता दिया था कि उक्त नमूना वास्ते एफएससए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा हूं। मौके पर विक्रेता ने उक्त पेय पदार्थ को अन्य फर्म से खरीदने का बिल नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर गवाहों एवं विक्रेता की उपस्थिति में उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverages (Fruit Pulpy Brand) के 4 बोतल मूल ही सील्ड अवस्था में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को उनके बताये अनुसार 200/–रू (अक्षरे दो सौ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverages (Fruit Pulpy Brand) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1332 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता जालाराम एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न.5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म:–मैसर्स चौधरी ज्यूस सेंटर बस स्टेण्ड, डीडवाना जिला नागौर, विक्रेता

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

मालिक जालाराम पुत्र नानूराम ,निवासी–गांव मोडीयावट तह.डीडवाना जिला नागौर से खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverages (Fruit Pulpy Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अगले कार्य दिवस को एक नमूना पैकेट मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर माणकचन्द गहलोत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 04.09.2020 को जमा कराने हेतु भिजवाया गया था, परन्तु खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर ने फार्म नं. 6 के पुस्त भाग पर सूचित करते हुए वापिस लौटाया गया कि इस प्रयोगशाला में माईक्रोबाईलोजिकल जांच उपलब्ध नहीं है मूल प्रपत्र मय खाद्य नमूना वापिस भिजवा दिया गया।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के पत्र के माध्यम से एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति एक आउट कवर में सीलबंद सील मोहर कर श्री माणकचन्द गहलोत वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर को दिनांक 07.09. 2020 को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर को दिनांक 04.09.2020 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/1229/Act/2020/1303 दिनांक 16.09.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The Sample of "**Ready to Serve Fruit Beverages (Fruit Pulpy Brand)** bearing Code No. and Sr. No. Q-1332 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Misbraned Food** Under Section **3(1)(zf)(C)(i)** of Food Safety and Standards

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

Act -2006. **This sample is not fully marketable as it sold after the date of best before.**

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर से खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverage (Fruit Pulpy Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता जालाराम से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverages (Fruit Pulpy Brand) का नमूना Q–1332 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 27(3)(क) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य है साथ ही रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना विक्रय कर धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है। राज्य केन्दीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्डेड व अवधि पार है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 27(3)(क) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है–

धारा 27:– विनिर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व।

(3) विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिए उतरदायी हो, जो–

(क) उसके अवसान की तारीख के पश्चात विक्रीत किया जाता है; या

धारा 31:–खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण।

(2) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे किसी छोटे विनिर्माता को जो स्वयं किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण करता है या विक्रय करता है या किसी छोटे फुटकर विक्रेता, हाकर, फेरी वाले या किसी अस्थायी स्टालधारक या खाद्य कारबार से संबंधित किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या ऐसे किसी अन्य उद्योग या छोटे खाद्य कारोबारकर्ता को लागू नहीं होगी; किंतु वे स्वयं को मानव उपभोग लिए सुरक्षित और पूर्ण खाद्य की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डोल बिना या उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित किए बिना ऐसे प्राधिकारी के पास और ऐसे रीति में रजिस्टर कराएगें जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

धारा 52:– मिथ्याछाप वाले खाद्य पदार्थ के लिए शास्ति।
कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो मिथ्याछाप का है, शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।
धारा 58:– जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रूपए तक की हो जायेगी,दायी होगा।

(9)पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक:चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/408–09 दिनांक 22.10.2020 से जालाराम को उक्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/1229/Act/2020/1303 दिनांक 16.09.2020 को प्रति प्रेषित की गई है किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। उक्त खाद्य पदार्थ जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्डेड व अवधि पार है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 27(3)(क) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है साथ ही रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना विक्रय कर धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है। इस प्रकार, मिसब्राण्डेड व अवधि पार खाद्य पदार्थ के विक्रय व बिना रजिस्ट्रेशन विक्रय हेतु फर्म–मैसर्स चौधरी ज्यूस सेंटर, बस स्टेण्ड, डीडवाना तह. डीडवाना जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 व 58 के तहत प्रतिवादी जालाराम पुत्र नानूराम जाति जाट, निवासी–गांव मोडियावट तह. डीडवाना जिला नागौर, फर्म:–मैसर्स चौधरी ज्यूस सेंटर बस स्टेण्ड डीडवाना जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(10)आदेश दिनांक 12.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना